रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 623] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 25, 2000/आश्विन 3, 1922

No. 623] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 25, 2000/ASVINA 3, 1922

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2000

का.आ. 880(अ).—ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक अवरुद्धता और बहुविकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 3(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इस राष्ट्रीय न्यास के पदेन अध्यक्ष के रूप में, केन्द्रीय सरकार द्वारा एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किए जाने तक, कार्य करेंगे।

[फा. सं. 1-1/2000-एन.आई.-2]

गौरी चटर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2000

S.O. 880(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3(4) of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999, it has been decided that Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment will act as ex-officio Chairperson of the National Trust till a full time Chairperson is appointed by the Central Government.

[F. No. 1-1/2000-NI-II]

GAURI CHATTERJI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2000

का.आ. 881(अ).—इस मंत्रालय की दिनांक 21 सितम्बर, 2000 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में तथा ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक अवरुद्धता तथा बहुविकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 3(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक अवरुद्धता तथा बहुविकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास का तत्काल प्रभाव गठन करती है। इस बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :—

1.	अलग से नियुक्त किया जाना है	अध्यक्ष
2.	श्रीमती मेरी बरूआ, एक्सन फार आटिज्म टी-370-एफ, चिराग गांव तीसरा तल नई दिल्ली	सदस्य
3.	श्रीमती शारदा फतेहपुरिया निदेशक, मनोविकास केन्द्र रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च इंस्टिट्यूट फार द हैण्डिकैप्ड, 482, मधुदाह, प्लाट 1-24, सेक्टर-जे, इस्टर्न मैट्रोपोलिटन बाइपास, कलकत्ता-700078	सदस्य
4.	श्री रूकमिनी कृष्णास्वामी, निदेशक, स्पास्टिक्स सोसाइटी आफ इंडिया	सदस्य

पांचवा क्रास इंदिरा नगर,
पहला स्टेज,
बानालोर

5. श्री दामोदर तिलक, सदस्य
एसोशियेशन आफ पेरेन्ट्स आफ चिल्ड्रन
विद मेंटल हैंडिकेप,
17, केशरी एपार्टमेंट्स
दिलिप गुप्ते पेठ,
मुम्बई-400016

6. प्रो. के. आर. वेंकटेश, सदस्य
अध्यक्ष
कर्नाटक पेरेंट्स एसोसियेशन फार मेंटली रिटार्डेड
सिटिजन्स ए एम एच कम्पाउंड,
आफ होसुर रोड,
किदवई मेमोरियल होस्पिटल के निकट
बंगलूर-560029

7. श्री एस. सी. पंत सदस्य
यू.पी. पेरेन्ट्स एसोसियेशन
लखनऊ

8. श्री अखिल पॉल, सदस्य
निदेशक,
सेन्स इंटरनेशनल
405, फवोरियेट रेजीडेन्सी,
सेंट जेवियर स्कूल के निकट, मेमनगर,
अहमदाबाद।

9. श्रीमती मारलिने कामदर, सदस्य
सरस्वती केन्द्र लर्निंग सेंटर,
द सी पी रामास्वामी अय्यर फाउंडेशन
1, एल्डाम्स रोड, अलवारापेट,
चेन्नई

10. डॉ. श्रीमती राजन पी. आर. एस. पिल्ले, सदस्य
निदेशक,
बाल विकास इंस्टिट्यूट
हिन्दुस्तान लेटेक्स के सामने
त्रिवेन्द्रम

11. संयुक्त सचिव, सदस्य (पदेन)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

12. संयुक्त सचिव, —वही—
महिला एवं बाल विकास विभाग
भारत सरकार

13. संयुक्त सचिव —वही—
परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

14. संयुक्त सचिव सदस्य (पदेन)
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार

15. संयुक्त सचिव —वही—
श्रम मंत्रालय
भारत सरकार

16. संयुक्त सचिव —वही—
शिक्षा विभाग
भारत सरकार

17. संयुक्त सचिव —वही—
शहरी मामले एवं मंत्रालय
भारत सरकार

18. संयुक्त सचिव —वही—
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

19—21. तीन व्यक्तियों को परोपकारी कार्यकलापों में संलग्न ट्रेड, कामर्स तथा इंडस्ट्री एसोसिएशन से मनोनीत किया जाय।
(बाद में नियुक्ति की जाएगी)

22. मुख्य कार्यपालक अधिकारी सदस्य-सचिव
ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक
अवरुद्धता तथा बहु विकलांगता
ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ
राष्ट्रीय न्यास
(भारत सरकार के संयुक्त सचिव के दर्जे का)

2. सदस्य का कार्यकाल उसकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक अथवा उसके उत्तराधिकारी के विधिवत् नियुक्ति की तारीख तक, जो भी अधिक हो, होगा।

3. इस न्यास के कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं प्रबंधन कार्य इस बोर्ड में निहित होगा जो उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन समस्त कार्यों को निष्पादित करेगा जिनका इस न्यास द्वारा प्रयोग किया जाता हो अथवा किया गया हो।

4. यह बोर्ड किसी उस व्यक्ति को अपने साथ इस प्रकार से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन्हें विनियमों के द्वारा निर्धारित किया जाय, संबद्ध कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह की यह न्यास के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए इच्छा करता हो। ऐसे व्यक्तियों को उस प्रयोजन से संबंधित विचार-विमर्शों में भाग लेने का अधिकार होगा लेकिन उन्हें बोर्ड की बैठक में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए सदस्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार शामिल किए गए व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 8 से अधिक नहीं होगी और यथासंभव इस प्रकार संबद्ध किए गए व्यक्ति पंजीकृत संगठनों अथवा व्यावसायिकों से संबंधित होंगे।

[एफ. सं. 1-1/2000 एन आई-2]

गौरी चटर्जी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2000

S.O. 881(E).—In continuation of this Ministry's notification of even number dated 21st September, 2000 and in exercise of the powers conferred by Section 3(4) of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999, the Central Government hereby constitutes the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Board with immediate effect. The Board shall consist of the following members :—

1. To be appointed separately, – Chairperson
2. Smt. Merry Barua, – Member
 Action for Autism,
 T-370-F, Chiragh Gaon,
 Third Floor, New Delhi-110017.
3. Smt Sharda Fatehpuria, – Member
 Director,
 Manovikas Kendra Rehabilitation and Research Institute for the Handicapped, 482, Madhudah,
 Plot 1-24, Sector–J,
 Eastern Metropolitan Bypass,
 Calcutta-700078.
4. Smt. Rukmini Krishnaswamy, – Member
 Director,
 Spastics Society of India,
 5th Cross Indira Nagar,
 1st Stage, Bangalore-560038.
5. Shri Damodar Tilak, – Member
 Association of Parents of Children with Mental Handicap,
 17, Kesri Apartments,
 Dilip Gupta Peth, Mumbai-400016.
6. Prof. K. R. Venkatesha, – Member
 President,
 Karnataka Parents Association for Mentally Retarded Citizens, AMH Compound, Off Hosur Road,
 Near Kidwai Memorial Hospital,
 Bangalore-560029.
7. Shri S. C. Pant, – Member
 U. P. Parents Association,
 Lucknow.
8. Shri Akhil Paul, – Member
 Director,
 Sense International (India),
 405, Favourite Residency,
 Nr. St. Xavier's School, Memnagar,
 Ahmedabad-380052.
9. Smt. Marlene Kamdar, – Member
 Saraswati Kendra Learning Centre,
 The C. P. Ramaswami Aiyar Foundation, 1, Eldams Road,
 Alwarpet, Chennai-600018.
10. Dr. (Smt.) Rajam PRS Pillay, – Member
 Director,
 Balavikas Institute
 Opp. Hindustan Latex, Peroorkada,
 Trivendram, Kerala-595005.
11. Joint Secretary, – Member (Ex-officio)
 Ministry of Social Justice and Empowerment
12. Joint Secretary, – —do—
 Department of Women and Child Development, Government of India.
13. Joint Secretary, – —do—
 Ministry of Health & Family Welfare, Government of India.
14. Joint Secretary, – —do—
 Ministry of Finance,
 Government of India.
15. Joint Secretary, – —do—
 Ministry of Labour,
 Government of India.
16. Joint Secretary, – —do—
 Department of Education,
 Government of India.
17. Joint Secretary, – —do—
 Ministry of Urban Affairs and Employment, Government of India.
18. Joint Secretary, – —do—
 Ministry of Rural Development,
 Government of India.
19–21. 3 persons to be nominated from association of trade, commerce and industry engaged in philanthropic activities (will be appointed later on). – —do—
22. Chief Executive Officer – Member-Secretary
 National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (in the rank of JS, Govt. of India).

2. A Member shall hold office for a term of three years from the date of his/her appointment or until his/her successor shall have been duly appointed, whichever is longer.

3. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Trust shall vest in Board which may exercise all powers and do all acts and things which may be exercised or done by the Trust.

4. The Board may associate with itself, in such manner and for such purpose as may be determined by regulations, any person whose assistance or advice it may desire for carrying out the objects of the Trust. Such persons shall have a right to take part in the discussions relevant to that purpose but shall not have a right to vote at a meeting of the Board and shall not be member for any other purpose. Further that the maximum number of persons so associated shall not exceed eight and so far as possible the persons so associated shall belong to the registered organisations or from the professionals.

[F. No. 1-1/2000–NI-II]

GAURI CHATTERJI, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.